राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर, चूरू

बइजलाश श्री अमीलाल यादव, R.A.S.

अपील संख्या– 01/2024   तारीख फैसला 24-12-2024

1. बिजू पत्नी गोपालराम जाति नाई उम्र वयस्क निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. भंवरलाल पुत्र गोपालराम जाति नाई उम्र वयस्क निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3. रेवंती पुत्री गोपालराम जाति नाई उम्र वयस्क निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
4. मुरलीधर नाई पुत्र गोपालराम जाति नाई उम्र वयस्क निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
5. मंजूदेवी पुत्री गोपालराम जाति नाई उम्र वयस्क निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
6. बीरबल नाई पुत्र गोपालराम जाति नाई उम्र वयस्क निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
7. लाली पुत्री गोपालराम जाति नाई उम्र वयस्क निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

........अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत अमरसर पंचायत समिति बीदासर जिला चूरू
2. नरपतराम पुत्र धापूदेवी जाति नाई उम्र वयस्क निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3. ओमप्रकाश पुत्र धापूदेवी जाति नाई उम्र वयस्क निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
4. प्रेम पुत्री धापूदेवी जाति नाई उम्र वयस्क निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
5. कोजी पुत्री धापूदेवी जाति नाई उम्र वयस्क निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड बीदासर जिला सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

6. रामेश्वरी पुत्री धापूदेवी जाति नाई उम्र वयस्क निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
7. मांगी पुत्री धापूदेवी जाति नाई उम्र वयस्क निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
8. दीपाराम पुत्र बालूराम जाति नाई उम्र वयस्क निवासी ग्राम अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
9. बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा–कातर बडी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

.......रेस्पोडेन्ट

अपील नामान्तकरण संख्या 261 दिनांक 20.07. 2005 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 की माता के नाम 1/2 हिस्सा भूमि का स्वीकृत किया गया को गलत एंव बमुराद खारिज फरमाने बाबत।

उपस्थितगण :–

1. अपीलान्टान की और से किशनलाल भादू एडवोकेट
2. रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 9 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही
3. रेस्पोडेन्टस संख्या 10 पेरोकार–राज उपस्थित

निर्णय

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि यह अपील अपीलान्टान ने इस आशय की पेश की अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय गोपालराम एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 8 दीपाराम पुत्र बालूराम के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग के खेत खसरा नम्बर 165 तादादी 32 बीघा 10 विश्वा यानि 8.2202 हैक्टेयर एंव खसरा नम्बर 166 तादादी 38 बीघा 15 विश्वा यानि 9.8010 हैक्टेयर वाके रोही अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें अपीलान्टान के पिता स्वर्गीय गोपालराम का

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

वादगत खेतो में अपने 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट संख्या 8 का 1/2 हिस्सा के खातेदार कृषक थे। अपीलान्टान के पिता स्वर्गीय गोपालराम ने वादगत खेतो में से अपने 1/2 हिस्सा की भूमि में से 31 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 की माता स्वर्गीय धापूदेवी को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.04.2005 के द्वारा विक्रय कर दी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 की माता ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.04.2005 के आधार पर खरीद शुदा भूमि 31 बीघा की खातेदारी का नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का अमरसर को दी, पटवारी हल्का अमरसर ने गलती से नामान्तकरण संख्या 261 के द्वारा अपीलान्टान के पिता स्वर्गीय गोपालराम की 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 की माता स्वर्गीय धापूदेवी के नाम नामान्तकरण दर्ज करके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष दिनांक 20.07.2005 को पेश कर दिया के आधार पर पटवारी हल्का अमरसर ने अपीलान्टान के पिता स्वर्गीय गोपालराम की सम्पूर्ण 1/2 हिस्से की भूमि राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर दी जो शुरू से अवैध एंव शुन्य निष्प्रभ है अपीलान्टान के पिता स्वर्गीय गोपालराम ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 की माता धापूदेवी को वादगत खेतो में अपने 1/2 हिस्से की भूमि में से 31 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 की माता को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.04.2005 के द्वारा विक्रय की थी पटवारी हल्का अमरसर को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 की माता स्व. धापू देवी के नाम वादगत खेतों की 31 बीघा भूमि को ही खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अंकित की जानी चाहीए थी जो नहीं की इसलिए वादगत खेतों का राजस्व रेकार्ड गलत शुन्य व निष्प्रभ है। इसलिए अपीलान्टान के लिए आवश्यक हो गया है कि वादगत खेतो के वर्तमान राजस्व रिकोर्ड में गोपालराम के नाम शेष खातेदारी 04 बीघा 12 विश्वा 10 बिंश्वासी की भूमि अपीलान्टान अपने नाम से अंकित करावें जिसका की अपीलान्टान को कानूनी अधिकार प्राप्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलान्टान को कोई सूनवाई का अवसर नही दिया ना कोई साक्ष्य ली गई ओर बिना कोई जांच किये नामान्तकरण संख्या 261 दिनांक 20.07.2005 को पंचायत

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

की मिटींग में स्वीकृत करवा लिया जो शुरू से ही खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 की माता स्वर्गीय धापूदेवी से साज करके नामान्तकरण 261 स्वीकृत किया है वोह शुरू से ही अवैध शुन्य है जो काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्टान के पिता का देहान्त हो चूका है व धापूदेवी का देहान्त दिनांक 04.06.2021 को हो गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 धापूदेवी के जायज वारिस है इसलिए कानूनी आपत्तियो को ध्यान में रखते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 को पक्षकार मुकदमा संयोजित किया गया है अपीलान्टान द्वारा पटवारी हल्का से दिनांक 05.01.2024 को खातेदारी की जमाबन्दी नकल की मांग की तो पटवारी हल्का ने कहा की वादगत खेतो में आपका नाम नही है तब पटवारी हल्का से नामान्तकरण संख्या 261 दिनांक 20.07.2005 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की उक्त गलत नामान्तकरण की जानकारी सर्वप्रथम हुई इससे पूर्व अपीलान्टान को उक्त गलत नामान्तकरण की कोई जानकारी नही थी अपीलान्टान रेस्पोडेन्ट संख्या 8 का संयुक्त खातेदार कृषक है इसलिए अपील में भी रेस्पोडेन्ट संख्या 8 को भी कानूनी आपत्तियो को ध्यान में रखते हुए पक्षकार मुकदमा संयोजित किया है अपीलान्टान ने दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है दिनांक 20.07.2005 से दिनांक 09.01.2024 तक छुट प्राप्त कर यह अपील पेश की है। वादगत खेत रोही अमरसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है नामान्तकरण संख्या 261 दिनांक 20.07.2005 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा स्वीकृत किया है जिसकी बाबत अपील सुनने का श्रवर्णाधिकार व क्षैत्राधिकार श्रीमानजी को प्राप्त है अपील अपीलान्टान जानकारी के आधार पर निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत की है अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा रेस्पोडेन्टान 2 ता 7 की माता धापूदेवी के नाम नामान्तकरण 261 दिनांक 20.07.2005 स्वीकार किया को निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 10 को आदेश प्रदान किया जावें की वोह वादगत खेतो की खातेदारी में अपीलान्टान के नाम 04

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

बीघा 12 विश्वा 10 विंश्वासी की खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में अंकित करें।

अपील अपीलान्टान दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए नोटिस तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 जरिए तहसीलदार बीदासर उपस्थित पैरोकार।

बहस सुनी गई विद्वान अधिवक्ता अपीलान्टान ने अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया की अपीलान्टान के पिता स्वर्गीय गोपालराम द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 की माता स्वर्गीय धापूदेवी को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.04.2005 के द्वारा वादगत खेत खसरा नम्बर 165, 166 में वाके रोही अमरसर में से अपने 1/2 हिस्से की भूमि में से 31 बीघा भूमि विक्रय की थी शेष भूमि 04 बीघा 12 विश्वा 10 विंश्वासी भूमि गोपालराम पुत्र नन्दराम के नाम दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन पटवारी हल्का ने 31 बीघा के बजाय 1/2 हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 के नाम दर्ज कर दी जो शुरू से ही अवैध शुन्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो से भली भांति प्रतीत होता है कि गोपालराम ने धापूदेवी को 31 बीघा भूमि विक्रय की थी लेकिन पटवारी हल्का अमरसर द्वारा 31 बीघा के बजाय 1/2 हिस्सा की भूमि का नामान्तकरण दर्ज किया गया है जो शुरू से ही अवैध एंव शुन्य है अपीलान्टान 1 ता 7 गोपालराम के स्थान पर वागदत खेत खसरा नम्बर 165, 166 वाके रोही अमरसर तहसील बीदासर की खातेदारी में शेष बची 04 बीघा 12 विश्वा 10 विंश्वासी भूमि की खातेदारी अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है इसलिए अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य होने के कारण अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 261 दिनांक 20.07.2005 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा स्वीकृत किया गया है को निरस्त किया जाता है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 10 को आदेश प्रदान किया जाता है कि अपीलान्टान संख्या 1 ता 7 के नाम वादगत खेत खसरा नम्बर 165, 166 वाके रोही अमरसर में शेष बची 04 बीघा 12 विश्वा 10 विंश्वासी की खातेदारी दर्ज करें ।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

आदेश

अपीलान्टान द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 261 दिनांक 20.07.2005 वाके रोही अमरसर को अपास्त किया जाता है ओर तहसीलदार बीदासर को आदेशित किया जाता है वादगत खेत खसरा नम्बर 165 तादादी 32 बीघा 10 विश्वा (8.2202)हैक्टेयर व खसरा नम्बर 166 तादादी 38 बीघा 15 विश्वा (9.8010)हैक्टेयर वाके रोही अमरसर तहसील बीदासर से सम्बधित विक्रय पत्र दिनांक 26.04.2005 के आधार पर अपीलान्टान के नाम से शेष बची 04 बीघा 12 विश्वा 10 विंश्वासी भूमि की पक्षकारों को सुनवाई के अवसर देते हुई नियमानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करें तथा दर्ज कर तस्दीक करें व लगान कायम करें। तदनुसार तहसीलदार बीदासर के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....24/12/24....... को सरेइजलास सुनाया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ बीदासर जिला-चूरू ★
सत्यमेव जयते

(अमीलाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
बीदासर (चूरू)